

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)

कमांक एफ 10(9)ग्रावि/नरेगा/सहा.कार्य.अधि/2010

जयपुर दिनांक

3 APR 2012

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
बून्दी।

विषय:-कार्यक्रम अधिकारी के पद पर स्थगन पर कार्यरत सहायक कार्यक्रम अधिकारियों
को 10 प्रतिशत वृद्धि देने के क्रम में।

सन्दर्भ:-आपका पत्र कमांक एम.जी. नरेगा/संस्थापन/2011-12/712 दिनांक14.03.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा
योजनान्तर्गत पंचायत समिति स्तर पर पूर्व में न्यायालय स्थगन के आधार पर कार्यरत ऐसे
कार्यक्रम अधिकारी जिनकी इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.04.2011 एवं 29.06.2011 में
दिये गये निर्देशों के अनुरूप सहायक कार्यक्रम अधिकारी (संविदा) के नवसृजित पदों पर नये सिरे
से नियुक्ति दी गई है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इन सहायक कार्यक्रम अधिकारियों को सहायक
कार्यक्रम अधिकारी के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि से ही इनकी सेवा प्रारम्भ मानी जाएगी। अतः
उन्हे सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद पर प्रथम वर्ष पूरा हुए बिना 10 प्रतिशत वार्षिक मानदेय
वृद्धि देय नहीं है।

भवदीय

(बद्रीनारायण)

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस

प्रतिलिपि :-

- 1 समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, राजस्थान।
- 2 समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
(जिला बून्दी को छोड़ कर)।
- 3 रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस